



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 04.08.2025

**बागपत पुलिस ने 62 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 62 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सचिन पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2. प्रदीप पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
3. हसन पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4. हारून पुत्र अख्तर निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5. फुरकान पुत्र इमामबारी निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
6. जोनी पुत्र सत्ते निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



7. सत्ते पुत्र जयभगवान निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
8. राजकुमार पुत्र जधान निवासी ग्राम नंगला रवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
9. रविन्द्र पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
10. रोहित पुत्र सतवीर निवासी ग्राम ककौर कलां थाना छपरौली जनपद बागपत ।
11. अनुज उर्फ काला पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम बौढा थाना छपरौली जनपद बागपत
12. जुम्मा पुत्र गिरवर निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
13. विक्की पुत्र महीपाल निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
14. सुमित पुत्र राजू निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
15. मोना उर्फ खालिद पुत्र युसुफ निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
16. आयान पुत्र नूरमौहम्मद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
17. अनवर पुत्र आँशुद्दीन निवासी ग्राम हसनपुर मसूरी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
18. गजेन्द्र पुत्र हरिकिशन निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत
19. चन्द्रपाल पुत्र चुन्नी निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत
20. राकेश पुत्र रामफल निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
21. राजू पुत्र धनपाल निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
22. अनुज पुत्र सत्यवीर निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत
23. विनोद पुत्र सतपाल निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत
24. सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र पुत्र हरपाल निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
25. अमित पुत्र भीम सिंह निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत
26. रोहित यादव पुत्र सतपाल यादव निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
27. शशि पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
28. इस्तयाक पुत्र अनवार निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
29. देवेन्द्र कश्यप पुत्र रामदास निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।
30. प्रदीप पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
31. यशपाल पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
32. दिलशाद पुत्र इकबाल निवासी पट्टी बारू कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
33. फारूख पुत्र निन्ना धोवी निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
34. करण उर्फ विनय पुत्र हरपाल निवासी कमलानगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
35. नदीम पुत्र इकियास निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।

36. गुलफाम पुत्र रसीद निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।
37. लाला पुत्र फिरोज निवासी ग्राम खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत ।
38. प्रताप पुत्र आशाराम निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।
39. इरफान पुत्र हकीमू निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
40. आबिद पुत्र हकीमू निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
41. नसीम खान पुत्र दिलावर निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।
42. मनीष पुत्र अनीश निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।
43. मोहिन खान पुत्र नसीम खान निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।
44. अनीस पुत्र असगर निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।
45. जाहिद पुत्र सगीर निवासी रामडापीर थाना कैराना जनपद शामली ।
46. समीम पुत्र अजमल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
47. वाजिद पुत्र आश इल्लाई निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
48. राशिद उर्फ गोलू पुत्र आलम निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
49. संजय पुत्र सतवीर निवासी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
50. अनुज पुत्र विनोद निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
51. इकबाल पुत्र शियानन्द निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
52. अंकित पुत्र इकबाल निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
53. मोमीन पुत्र मन्नवर निवासी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
54. धनपाल पुत्र जसवन्त निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
55. अर्जुन पुत्र लोकेश निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
56. ठाठू उर्फ ठाठ सिंह पुत्र धनसिंह निवासी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
57. प्रदीप पुत्र खेमचन्द निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
58. सलमान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
59. अहसान पुत्र शेरदीन निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
60. गौरव पुत्र जगमेहर निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
61. मदन पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

62.01 महिला ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । ( 13 वारंटी )
- 2-थाना खेकड़ा पुलिस (11 वारंटी )
- 3-थाना रमाला पुलिस टीम । (10 वारंटी)
- 4-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम । (08 वारंटी )
- 5-थाना बड़ौत पुलिस टीम । (07 वारंटी)
- 6-थाना छपरौली पुलिस ( 06 वारंटी )
- 7- थाना चांदीनगर पुलिस ( 03 वारंटी )
- 8-थाना दोघट पुलिस टीम । (02 वारंटी )
- 9-थाना बिनौली पुलिस टीम । (02 वारंटी)



**Meticulous Investigation & Prosecution**



**BAGHPAT POLICE**

मारपीट करने के आरोपी राहुल उर्फ मीन्टू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पेरवी किए जाने पर हुआ 06 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त राहुल उर्फ मीन्टू पुत्र खेमचन्द निवासी ग्राम मीतली थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा वादिया के साथ मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 625/2021 धारा 308/436/504/323 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पेरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.08.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ मीन्टू को दोषी पाते हुए 06 माह के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पेरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पेरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 04.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने मु0अ0सं0 244/25 धारा 3/5(3) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2025 को थाना खेकडा पर वादी श्री वीरपाल जाटव पुत्र जय प्रकाश निवासी ग्राम सैदपुर कलां थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रहीमुद्दीन उर्फ फानू पुत्र हसिमू निवासी ग्राम बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा उसकी पुत्री ईशा उम्र 17 वर्ष को सोशल मीडिया



इंस्टाग्राम पर चैट कर धर्म परिवर्तन करके शोएब पुत्र सलीमुद्दीन निवासी ग्राम बडागाँव थाना खेकडा जनपद बागपत के साथ शादी करने का दवाब बनाया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 244/25 धारा 3/5(3) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 244/25 धारा 3/5(3) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से

घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रहीमुद्दीन उर्फ फानू पुत्र हसीमु निवासी ग्राम बड़ागाव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 672 जितेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 218 धर्मेन्द्र भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 04-08-2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 226/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित वायरल वीडियो के एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 226/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित वायरल वीडियो के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**महत्वपूर्ण सूचना:-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

सुभाष पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री अख्तर अली थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3-है0का0 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4- है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत

